न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
58 / 2017	11.9.2017	30.5.2025

जयराम पुत्र टुण्डा, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. बृजलाल पुत्र टुण्डा, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. उगन्ती पत्नि किशनलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. रमेश पुत्र किशनलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
4. सुरेश पुत्र किशनलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
5. मुकेश पुत्र किशनलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
6. कालीचरण पुत्र किशनलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
7. मुरारी पुत्र सुखजी, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
8. पांची बेवा सुखजी, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
9. दुर्गालाल पुत्र हरिया, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
10. रामचरण पुत्र श्रीचन्द, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
11. रामप्रसाद पुत्र पांच्या, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
12. लच्छी पुत्र पांच्या, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
13. मदनमोहन पुत्र परसराम, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
14. राजू पुत्र परसराम, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
15. सोनू पुत्र परसराम, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
16. गोपाल पुत्र परसराम, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
17. लैण्ड होल्डर व उप पंजीयक जरिए तहसील गंगापुर —प्रतिवादीगण

दावा बाबत् विभाजन

उपस्थित :—श्री प्रेम प्रकाश जोशी, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:03:27 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0नं0 216 रकबा 0.03 है0 ग्राम महूकलां वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का मुताबिक हिस्सा इन्द्राज चला आ रहा है। उक्त भूमि के अतिरिक्त वादी व प्रतिवादीगण की अन्य भूमि है। इस कारण वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर बाहमी रूप से बंटवारा हो चुका है वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हिस्से में आया है

तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ही उक्त भूमि पर काबिज है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 16 को उसके एवज में अन्य भूमि दी गई है किन्तु राजस्व रिकार्ड में विभाजन न होने के कारण ही प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 का भी नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। उक्त भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने मौके पर बाहमी रूप से बांट रखा है तथा पूर्व में हुए मौखिक बंटवारे अनुसार ही वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज हो उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी है तथा उसने प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 को भी अपने साथ मिलाया हुआ है जिसने वादी के विरूद्ध एक गिरोह बनाया हुआ है और वे वादी को उसके हिस्से की भूमि से महरूम रखना चाहते हैं व वादी को कोई हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। दिनांक 15.5.2015 को जब वादी अपने हिस्से में आई भूमि पर निर्माण करने के आशय से निर्माण सामग्री डलवाई व नींव खुदवाई तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 मौके पर आ गए व वादी को निर्माण करने से रोकने लगे व मारपीट करने पर आमादा हो गए व वादी को निर्माण नहीं करने दिया जिसके सम्बन्ध में वादी ने उनके विरूद्ध एक दावा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा यह विधिक आपत्ति दी गई कि वादी को विभाजन का दावा प्रस्तुत करना चाहिए था व उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 4.4.2021 को 75000/– रूपए में टुण्डा से क्रय किए जाने का कथन किया व उक्त तथाकथित विक्रय पत्र की लिखापढी भी सौ रूपए के स्टाम्प पर होने का कथन करते हुए गलत जबाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 की विधिक आपत्ति को देखते हुए वादी द्वारा हस्तगत वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त भूमि वादी की खातेदारी की भूमि है जिस पर वादी का कब्जा चला आ रहा है। इस कारण उक्त भूमि का सरस नरस से न्यायहित में विभाजन किया जाना आवश्यक है। दिनांक 15.1.2017 को जब वादी पुनः अपनी भूमि की सार संभाल कर रहा था तो प्रतिवादीगण एक राय होकर आये व वादी को धमकाते हुए कहा कि चुपचाप इस भूमि से चले जा वरना हम तेरे हाथ पैर तोड देंगे, वादी के यह कहने पर कि इसमें [illegible] हिस्सा है तो प्रतिवादीगण आवेशित हो गए व कहा कि [illegible] है, हम तेरी भूमि पर कब्जा कर लेंगे, इसे बेच देंगे व [illegible] निर्माण कर तुझे बेदखल कर देंगे फिर तू कोर्ट के चक्कर लगाते रहना। [illegible]वादी संख्या 1 ता 6 के कार्य व्यवहार से स्पष्ट हे ि कवह वादी को उसकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में से कोई हिस्सा नहीं देना चाहते हैं व विभाजन भी नहीं करना चाहते

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:03:27 IST
Reason: SelfAttested

हैं। इस कारण दावा वादी पेश करना आवश्यक हुआ। अतः वादी का दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 216 रकबा 0.03 है0 ग्राम महूकलां का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन किया जावे व भूमि में से 1/3 वादी, 1/3 प्रतिवादी नं0 1 व 1/3 प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 से हिस्सा दिलवाया जावे व बाद विभाजन उन्हें अपने हिस्से अनुसार कब्जा दिलवाया जावे व अलग अलग जमाबंदी कायम की जावे व उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे व प्रतिवादी संख्या 7 ता 17 का नाम वर्तमान जमाबंदी से हजफ किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे किवे उसके हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में वादी को कोई मजाहमत न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावें व बिना विभाजन भूमि का विक्रय नहीं करे व ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे वादी को उक्त भूमि के उपयोग उपभोग में परेशानी का सामना न करना न पडे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादीगण ने जबाब दावा इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि ख0नं0 216 के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज गलत चले आ रहे हैं। ख0नं0 216 में वादी का कोई हिस्सा नहीं है। जब पूर्व में बंटवारा हो चुका है तो पुनः बंटवारा किए जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है इसलिए दावा पोषणीय नहीं है। बंटवारे का वाद सम्पूर्ण भूमि के लिए ही किया जा सकता है, आंशिक सम्पत्ति का बंटवारे का वाद चलने योग्य नहीं है। वादी ने सिविल न्यायालय में गलत तथ्यों के आधार पर वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा0पत्र प्रस्तुत किया था उसमें वादी ने गलत नक्शा प्रस्तुत किया, मौका कमिश्नर अनिता मीना एडवोकेट ने मौका देखा व मौके पर वादी का कब्जा नहीं पाया व वादी द्वारा प्रस्तुत नक्शा भी गलत पाया। इसलिए सिविल न्यायालय ने वादी का टी0आई0 प्रार्थना पत्र दिनांक 12.8.2015 को निरस्त कर दिया। उक्त वाद में प्रतिवादीगण ने दिनांक 20.4.2015 को ही जबाब प्रस्तुत कर दिया जिसके ढाई वर्ष बाद यह दावा प्रस्तुत किया है जो मियाद बाहर है। जबाब दावे के विशेष विवरण में अंकित किया है कि पक्षकारों के बुजुर्गो की भूमि साबिक ख0नं0 141 ... है। वादी ने मात्र 3 एयर भूमि के विभाजन के लिए ही वाद पेश किया है, आंशिक विभाजन का वाद चलने योग्य नहीं है। मात्र 3 एयर जैसी छोटी भूमि जो नाप में मात्र 300 वर्ग मीटर भूमि होती है, का बंटवारा सम्भव नहीं है। पक्षकारों के बुजुर्ग दुण्डा के हिस्से में भूमि ख0नं0 216 रकबा 3 एयर, ख0नं0 242 रकबा 35 एयर, ख0नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:03:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

214 रकबा 2 एकड़ आई है जो बंटवारे के बाद स्व0 दूल्हा की स्वअर्जित भूमि हो चुकी है। इस भूमि का वार्तमान खसरा 147/6 रहा है। इस सारी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ नक्शा बनाकर स्व0 पिता दूल्हा ने अपने जीवनकाल में कुल 17 भूखण्ड बनाए जिनमें भूखण्ड संख्या 16 व 17 हरिया के हिस्से के दक्षिण में पड़ते हैं। भूखण्ड संख्या सात 80 गुणा 42 फिट का बना जो वादग्रस्त भूखण्ड है। दूल्हा ने 12 भूखण्ड तो अपने जीवनकाल में दीगर लोगों को विक्रय कर दिए, तीन भूखण्ड तीनों भाई भूपलाल, किशनलाल व जगतराम को दे दिए जिसमें तीनों भाईयों ने अपने अपने पुख्ता मकान बना रखे हैं। वादी ने वादपत्र के साथ जो नजरी नक्शा पेश किया है वह गलत है। इस नक्शे में बतलाए अनुसार मौके पर 6 भूखण्ड न होकर एक ही भूखण्ड है जिसमें नीम, पीपल व शीशम के पेड़ लगे हुए हैं जिसे दादा की बाड़ी के नाम से जानते हैं। इस भूखण्ड को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व स्व0 किशनलाल के पिता दूल्हा ने प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 4.4.2021 को 75000/-रू0 में विक्रय कर दिया व प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा करा दिया। तभी से प्रतिवादी संख्या 1 इस पूरे भूखण्ड को स्वयं के काम में ले रहा है। उक्त भूखण्ड के पूर्व में 10 फीट का रास्ता, पश्चिम की ओर 10 फीट का रास्ता, उत्तर की ओर दुर्गालाल की जमीन व दक्षिण की ओर डी0 आर0 खत्री व जगतराम के मकान हैं। उक्त भूखण्ड की चौड़ाई पूर्व व पश्चिम की ओर 80-80 फिट, उत्तर की ओर लम्बाई 80 फिट व दक्षिण की ओर लम्बाई 72 फिट है लेकिन टाइपशुदा विक्रयनामे में लम्बाई के स्थान पर चौड़ाई व चौड़ाई के स्थान पर लम्बाई लिखने में आ गई। प्रतिवादी संख्या 1 का परिवार बढ़ जाने से प्रतिवादी संख्या 1 ने 3 ट्रोली बजरी व 4 ट्रोली पत्थर, 1 ट्रोली मिट्टियां डलवा लिए तथा पश्चिम की ओर नींव खोद ली। चूंकि इस भूखण्ड की कीमत बढ़ गई इस कारण वादी की नियत में बेईमानी आ गई और उसने निर्माण नहीं करने दिया व वादी ने झूठे तथ्यों पर यह वाद पेश कर दिया। वादी का वादग्रस्त भूखण्ड पर कोई कब्जा नहीं है और न ही कभी कोई कब्जा रहा है बल्कि वादग्रस्त [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 का खरीदशुदा मिल्कियत व कब्जा [illegible] का वादपत्र चलने योग्य नहीं है। दूल्हा का [illegible] बाद उसके दाह संस्कार, क्रियाकर्म, बारह ब्राह्मण आदि कार्यक्रमों में व [illegible]ों के भात-जामने में तीनों भाईयों (वादी, प्रतिवादी संख्या 1 व स्व0 किशनलाल) को बराबर बराबर खर्चा वहन करना चाहिए था। वादी व दूसरे भाई किशनलाल ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि अभी आप ही खर्चा कर लो, हमारे पास पैसे नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:03:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भादरा (राज0)

पैसे आने पर ब्याज सहित आपको चुकता कर देंगे। भात जामने पर वादी के हिस्से का खर्चा 20039/–रूपए, पिताजी टूण्डा के क्रियाकर्म में वादी के हिस्से का खर्चा 14737/–रूपए एवं ब्याज वादी के जिम्मे बकाया है जो वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को अदा नहीं किए। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के हक में प्रोमेसरी नोट भी तहरीर कर रखे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रूपयों का काफी समय से तकाजा करता चला आ रहा है किन्तु वादी ने राशि अदायगी नहीं की और दबाब देने पर वादी ने गलत तथ्यों पर यह दावा प्रस्तुत कर दिया है। वादी का वादग्रस्त भूखण्ड में कभी किसी प्रकार का ताल्लुक, वास्ता नहीं रहा है। अब जमीनों की कीमत बढ जाने से वादी की नियत में खोट आ चुका है एवं उसने प्रतिवादीगण को परेशान करने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर यह दावा पेश किया है जो खारिज किए जाने योग्य है। वादी का वाद आदेश 2 नियम 2 जा0दी0 के तहत वार्ड है। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विशेष हर्जे सहित खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गईः–

1. आया भूमि ख0नं0 216 रकबा 3 एयर ग्राम महूकलां वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है। जिसका मौके पर पक्षकारों ने विभाजन कर लिया है जिसके अनुसार यह नम्बर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के हिस्से में आया है परन्तु राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 17 का भी नाम अंकित होने के कारण ये लोग वादी को कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः वादी इस भूमि में से प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 17 का नाम हजफ करवाने, भूमि का मीट्स एवं बाउण्ड्स से विभाजन करवा कर अपने नाम पृथक खातेदारी दर्ज करवाने व प्रतिवादीगण 7 लगायत 17 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। ——वादी

2. आया पक्षकारों के मध्य भूमि का पूर्व में बंटवारा हो चुका है। जिसके अनुसार वादी का ख0नं0 216 के किसी भी [illegible] पर कब्जा नहीं है। इस भूमि पर भूखण्ड काटे जा कर लोगों को विक्रय किए जा चुके हैं। वादी ने गलत तथ्यों पर दावा पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। ——प्रतिवादीगण

3. अनुतोष ।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 प्रदर्श–1 प्रस्तुत की है एवं बयान वादी जयराम पी0डबलू0 1 कराए हैं।

जबाब दावा के समर्थन में प्रतिवादीगण ने नकल दावा उनवानी जयराम बनाम बृजलाल वगैरा मय शपथ पत्र न्यायालय सिविल न्यायाधीश

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:03:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

(क0ख0) गंगापुर सिटी प्रदर्श ए–1, नकल नजरी नक्शा प्रदर्श ए–2, नकल निर्णय दिनांक 31.10.2019 न्यायालय न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय गंगापुर सिटी मुकदमा उनवानी जयराम बनाम बृजलाल वगैरा, दावा प्रदर्श ए–3, नकल मौका रिपोर्ट प्रदर्श ए–4, प्रदर्श ए–5, प्रदर्श ए–6, प्रदर्श ए–7, नकल बयनामा दिनांक 4.4.2001 प्रदर्श ए–8, नकल प्रोमेसरी नोट प्रदर्श ए–9 प्रस्तुत किए हैं एवं बयान प्रतिवादी बृजलाल कराए हैं।

बहस विद्वान वकील वादी सुनी गई।

वादी के विद्वान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि ख0नं0 216 रकबा 3 एयर ग्राम महूकलां वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है परन्तु इस भूमि में प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 16 का नाम गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 16 को इस भूमि के एवज में अन्य भूमि दे दी गई है। उपरोक्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर वादी ने निर्माण करने हेतु प्रयास किया तो प्रतिवादीगण ने वादी को निर्माण करने से रोका एवं भूमि से वादी को बेदखल करने की धमकी दी। इसलिए वादग्रस्त भूमि में से प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 16 का नाम हजफ करते हुए भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के मध्य हिस्से अनुसार विभाजन किया जाकर वादी के नाम पृथक से खातेदारी दर्ज की जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा नहीं है। वादी का वादग्रस्त भूमि से कोई वास्ता नहीं है। वादी ने इसी भूमि को लेकर सिविल न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था जो दिनांक 31.10.2019 को खारिज कर दिया गया है। इसके विरूद्ध वादी ने कोई अपील भी प्रस्तुत नहीं की है। इस वाद में सिविल न्यायालय ने मौका कमिश्नर नियुक्त कर रिपोर्ट मंगवाई थी जिसमें भी वादी का कब्जा नहीं पाया गया। वादग्रस्त भूखण्ड को वादी, प्रतिवादी संख्या 1 व स्व0 किशनलाल के [illegible] ने प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 4.4.2021 को रू0 [illegible] कब्जा संभला दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ही इस भूखण्ड का उपयोग उपभोग में ले रहा है। वादी ने गलत तथ्यों पर दावा प्रस्तुत किया है जो खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तनकीवाइज निर्णय निम्न प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:03:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

तनकी नं0 1:—आया भूमि ख0नं0 216 रकबा 3 एयर ग्राम महूकलां वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है। जिसका मौके पर पक्षकारों ने विभाजन कर लिया है जिसके अनुसार यह नम्बर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के हिस्से में आया है परन्तु राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 17 का भी नाम अंकित होने के कारण ये लोग वादी को कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः वादी इस भूमि में से प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 17 का नाम हजफ करवाने, भूमि का मीट्स एवं बाउण्ड्स से विभाजन करवा कर अपने नाम पृथक खातेदारी दर्ज करवाने व प्रतिवादीगण 7 लगायत 17 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी ने इस सम्बन्ध में नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 प्रदर्श—1 प्रस्तुत की है। इस जमाबंदी के अनुसार वादग्रस्त भूमि ख0नं0 216 में वादी का जो हिस्सा दर्ज है उसके अनुसार 1/15 हिस्सा है। यह भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी में संयुक्त रूप से दर्ज है। वादी इस वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 17 का नाम गलत रूप से दर्ज करने की बात कहकर इनके नाम जमाबंदी से हटाने की बात कहता है परन्तु इसका कोई दस्तावेजी सबूत वादी ने प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 17 का नाम गलत रूप से ख0नं0 216 की जमाबंदी में दर्ज हो रहा हो। वादी ने ख0नं0 216 का विभाजन करवाने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में वादी की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी प्रदर्श—1 के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 16 की संयुक्त खातेदारी में भूमि ख0नं0 214, 215, 216, 217, 241, 242 दर्ज है। वादी ने मात्र ख0नं0 216 के विभाजन हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है। ख0नं0 216 का रकबा 3 एयर है एवं जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार इसमें वादी का मात्र 20 वर्ग मीटर हिस्सा होता है। वादी को जमाबंदी प्रदर्श—1 में दर्ज समस्त भूमि के बंटवारा हेतु वाद लाना चाहिए था परन्तु [illegible] मात्र ख0नं0 216 रकबा 3 एयर के बंटवारे हेतु वाद प्रस्तुत किया है [illegible] नियमानुसार नहीं है क्योंकि इस छोटे से रकबे का विभाजन तकनीकि [illegible] भी नहीं है। इसलिए यह तनकी वादी के पक्ष में सिद्ध नहीं होने के कारण वादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2:—आया पक्षकारों के मध्य भूमि का पूर्व में बंटवारा हो चुका है। जिसके अनुसार वादी का ख0नं0 216 के किसी भी भू भाग पर कब्जा नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:03:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

है। इस भूमि पर भूखण्ड काटे जा कर लोगों को विक्रय किए जा चुके हैं। वादी ने गलत तथ्यों पर दावा पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल वयनामा दिनांक 4.4.2021 प्रदर्श ए–8 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी, प्रतिवादी नं0 1 व मृतक किशनलाल के पिता दूण्डाराम ने प्रतिवादी संख्या 1 बृजलाल को रू0 75000/– में विक्रय कर कब्जा संभला दिया है। वादग्रस्त भूमि ख0नं0 216 रकबा 3 एयर के सम्बन्ध में वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने हेतु वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया था जो सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.10.2019 प्रदर्श ए–3 के अनुसार वादी इसे अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज हो गया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा सिद्ध नहीं होता है। इसलिए यह तनकी अभिलेख के अनुसार सिद्ध होने के कारण प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3:–अनुतोष ।

तनकीवाइज किए गए विवेचन एवं निर्णय के अनुसार तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध निर्णित की गई है एवं तनकी नं0 2 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है। फलस्वरूप वादी का वाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.5.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:03:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

19 ब.

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

जयराम पुत्र टुण्डा, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. बृजलाल पुत्र टुण्डा, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. उगन्ती पत्नि किशनलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. रमेश पुत्र किशनलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
4. सुरेश पुत्र किशनलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
5. मुकेश पुत्र किशनलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
6. कालीचरण पुत्र किशनलाल, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
7. मुरारी पुत्र सुखजी, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
8. पांची बेवा सुखजी, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
9. दुर्गालाल पुत्र हरिया, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
10. रामचरण पुत्र श्रीचन्द, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
11. रामप्रसाद पुत्र पांच्या, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
12. लच्छी पुत्र पांच्या, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
13. मदनमोहन पुत्र परसराम, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
14. राजू पुत्र परसराम, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
15. सोनू पुत्र परसराम, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
16. गोपाल पुत्र परसराम, माली निवासी महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
17. लैण्ड होल्डर व उप पंजीयक जरिए तहसीलदार गंगापुर —प्रतिवादीगण

दावा बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –58/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री प्रेम प्रकाश जोशी, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.5.2025 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:03:27 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (राज0)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अर्जीदावा				
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची	
महनताना वकील			महनतानावकील पर	
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर	
बाबत इजराय			बाबत इजराय	
हुक्मनामा			हुक्मनामा	
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक	
मीजान			मीजान	

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.15 11:03:27 IST
Reason: SelfAttested